सत्यमेव जयते

बीस सूत्री कार्यक्रम 2006

दिशा-निर्देश

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

www.mospi.gov.in

बीस सूत्र

1. गरीबी हटाओ
2. जनशक्ति
3. किसान मित्र
4. श्रमिक कल्याण
5. खाद्य सुरक्षा
6. सबके लिए आवास
7. शुद्ध पेयजल
8. जन-जन का स्वास्थ्य
9. सबके लिए शिक्षा
10. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
11. महिला कल्याण
12. बाल कल्याण
13. युवा विकास
14. बस्ती सुधार
15. पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि
16. सामाजिक सुरक्षा
17. ग्रामीण सड़क
18. ग्रामीण ऊर्जा
19. पिछड़ा क्षेत्र विकास
20. ई-शासन

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 - प्रस्तावना	1-7
2.	बीस सूत्री कार्यक्रम - संक्षिप्त विवरण	8-18
3.	प्रबोधन की रूपरेखा	19-22
4.	बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 का प्रबोधन	23-27
5.	केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों, और राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में बीसूका-2006 के लिए प्रबोधन-ढांचा	28-38
6.	राज्यों का श्रेणीकरण	39-40
7.	बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता का उपयोग	41-42
8.	बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 का मूल्यांकन	43-44
अनुबंध		
1.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रबोधन, कार्यान्वयन तथा समीक्षा प्रणाली (अनुबंध-I)	45
2.	बीसूका-2006 के अंतर्गत प्रबोधित किए जाने वाले मानकों/संकेतकों, रिपोर्टिंग की आवृत्ति और सूचना देने वाले अभिकरणों सहित प्रबोधित की जाने वाली मदों की सूची (अनुबंध-II)	46-56
3.	मासिक प्रगति रिपोर्ट का फॉर्मेट (अनुबंध-III)	57-60
4.	बीसूका-2006 के अंतर्गत प्रबोधित की जाने वाली सूत्रवार मदों की सूची - मंत्रालय-वार (अनुबंध-IV)	61-68
5.	संबंधित केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों की सूची (अनुबंध-V)	69

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका) 1975 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में पहले 1982 में, और पुनः 1986 में संशोधन किया गया था। विगत वर्षों में हमारी उपलब्धियों और अनुभवों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा अनेक नई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए जाने से इस कार्यक्रम की पुनःसंरचना की जरूरत महसूस की गई। हालांकि, बीसूका पिछले तीस वर्षों से प्रचलन में है यह आज भी प्रासंगिक है क्योंकि गरीबी हटाने तथा आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के वांछित उद्देश्य अभी भी पूरी तरह प्राप्त किए जाने हैं। बीसूका-86 को अब 21वीं सदी की चुनौतियों और विशेषकर आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए पुनःसंरचित किया गया है। बीसूका-2006 के अंतर्गत कार्यक्रम और योजनाएं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निहित प्राथमिकताओं के साथ मेल खाती हैं। यह गरीबी हटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय संबंधी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मूल नामावली, अर्थात् बीस सूत्री कार्यक्रम, जो पिछले तीन दशकों से प्रचलन में है, और लोगों तथा प्रशासनिक अभिकरणों के बीच लोकप्रिय है, उसे बनाए रखा गया है।

1.2 इस कार्यक्रम की बहुत सी मदें **यूएन मिलेनियम डेवलेपमेंट्स गोल्स (एमडीजी) और सार्क सोशल चार्टर** जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रबोधित की जाती हैं और उनकी समीक्षा की जाती हैं। द यूनाइटेड नेशन्स मिलेनियम डिक्लेरेशन ऑफ 2000 में विकास, शांति और सुरक्षा, लिंग समानता, गरीबी के अनेक आयामों का उन्मूलन तथा अनवरत मानव विकास के अधिकार के प्रति दृढ़ वचनबद्धता का उल्लेख किया गया है। इन्हें आठ मिलेनियम डेवलेपमेंट्स गोल्स (एमडीजी) के नाम से जाना जाता है। इन आठ एमडीजी में 18 समयबद्ध लक्ष्य और 48 परिमाणात्मक संकेतक शामिल हैं।

1.3 सार्क राज्याध्यक्षों ने सार्क सोशल चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें विभिन्न उपबंधों, लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा सार्क देशों के बीच आपसी सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर बारह अनुच्छेद शामिल हैं । सोशल चार्टर में गरीबी हटाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, महिलाओं की स्थिति, बच्चों के अधिकार एवं हित आदि क्षेत्रों में कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है । सार्क सोशल चार्टर के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को केंद्रक मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है । सार्क सोशल चार्टर के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के प्रबोधनार्थ उपाय ढूंढने के लिए सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित की गई है । मंत्रालय द्वारा एमडीजी और सार्क सोशल चार्टर पर पहली कंट्री रिपोर्ट हाल में प्रकाशित की गई है । बीसूका-2006 एमजीडी और सार्क सोशल चार्टर के अनुरूप है ।

1.4 पुनःसंरचित बीसूका-2006 में 20 सूत्र और 66 प्रबोधन योग्य मदें शामिल हैं । 20 सूत्रों और 66 मदों की सूची निम्नानुसार हैः-

20 सूत्रों और 66 मदों की सूची

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
I.		गरीबी हटाओ
		ग्रामीण क्षेत्र
	1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना
	2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
	3.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
	4.	पंचायतों की भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केंद्र
	5.	स्व सहायता ग्रुप
		शहरी क्षेत्र
	6.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
II.		**जनशक्ति**
	7.	स्थानीय स्वायत्त सरकार (पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय) -- प्रकार्यों के अंतरण के लिए कार्यवाही योजना -- निधियों का बजट बनाना -- कार्मिकों के कार्य
	8.	शीघ्र और किफायती न्याय - ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
	9.	जिला योजना समितियां

III. किसान मित्र

10. वाटरशैड विकास और शुष्क भूमि कृषि
11. कृषकों को विपणन और अधिसंरचनात्मक सहायता
12. कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (गौण एवं लघु सिंचाई सहित)
13. किसानों को ऋण
14. भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण

IV. श्रमिक कल्याण

15. कृषि एवं असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
16. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)
17. बाल श्रमिक निवारण
18. महिला श्रमिक कल्याण

V. खाद्य सुरक्षा

19. खाद्य सुरक्षाः
    (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
    (ii) अंत्योदय अन्न योजना,
    (iii) स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना

VI. सबके लिए आवास

20. ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना
21. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास

VII. शुद्ध पेयजल

22. ग्रामीण क्षेत्रः
    -- स्वजलधारा
    -- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
23. शहरी क्षेत्रः
    -- त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

VIII. जन-जन का स्वास्थ्य

24. गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथामः
    (क) एचआईवी/एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ
    (ड.) अंधता
25. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
26. बाल प्रतिरक्षण
27. -- ग्रामीण क्षेत्र
    -- शहरी क्षेत्र
    में स्वच्छता कार्यक्रम
28. सांस्थानिक प्रसव
29. कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
30. माँ एवं बच्चों के लिए सम्पूरक पोषक आहार

31. दो बच्चों का मानक

IX. **सबके लिए शिक्षा**

32. सर्वशिक्षा अभियान
33. मध्याह्न भोजन योजना
    - अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

X. **अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**

34. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
35. सफाई कर्मियों का पुनर्वास
36. सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार
37. वन में रहने वालों का अधिकार - लघु वन उत्पादों के मालिक
38. आदिम जनजाति समूह
39. जनजातीय भूमि का अहस्तांतरण
40. पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम [पेसा]
41. अल्पसंख्यक कल्याण
42. सभी अल्पसंख्यक समुदायों को व्यावसायिक शिक्षा
43. -- शिक्षा
    -- रोजगार
    में अन्य पिछड़ा वर्गो को आरक्षण

XI. **महिला कल्याण**

44. महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता
45. (क) पंचायतों (ख) नगरपालिकाओं
    (ग) राज्य विधानमंडलों (घ) संसद
    में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी

XII. **बाल कल्याण**

46. आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण
47. क्रियाशील आँगनवाड़ियाँ

XIII. **युवा विकास**

48. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल
49. राष्ट्रीय सद्भावना योजना
50. राष्ट्रीय सेवा योजना

XIV. **बस्ती सुधार**

51. सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

XV. **पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**

52. वनरोपण
    (क) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र
    (ख) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या
53. नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम
54. -- ग्रामीण क्षेत्र
    -- शहरी क्षेत्र
    में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट

XVI. **सामाजिक सुरक्षा**

55. विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास
56. वृद्धों का कल्याण

XVII. **ग्रामीण सड़क**

57. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई

XVIII. **ग्रामीण ऊर्जा**

58. बायो-डीजल उत्पादन
59. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
60. नवीकरणीय ऊर्जा
61. पंपसेटों को बिजली
62. विद्युत आपूर्ति
63. केरोसिन एवं एलपीजी की आपूर्ति

XIX. **पिछड़ा क्षेत्र विकास**

64. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

XX. **ई-शासन**

65. केंद्रीय एवं राज्य सरकारें
66. पंचायतें एवं नगरपालिकाएं

1.5 बीसूका-2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं । इसमें समूचे देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है । इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों का संरक्षण तथा सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है ।

1.6 बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल मदों को, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रमों के अधीन संचालित किया जाता है तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बीसूका-2006 की सभी 66 मदें मासिक आधार पर रिपोर्टिंग के अधीन नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ योजनाएं/कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें संबंधित केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों द्वारा अभी शुरू किया जाना है (पैरा 1.7 देखें) । ये मदें केवल तभी प्रबोधित की जाएंगी जब ये योजनाएं चालू हो जाएंगी और उनके प्रबोधन की आवर्तिता बाद में निश्चित की जाएगी । 66 मदों में से 25 मदें मासिक आधार पर प्रबोधित की जाएंगी । शेष मदें वार्षिक आधार पर प्रबोधित की जाएंगी क्योंकि इन मदों के संबंध में सूचना संबंधित मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी । मासिक आधार पर प्रबोधित 25 मदों की सूची निम्नानुसार है:-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना ।
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
4. स्व सहायता ग्रुप
5. भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण
6. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)
7. खाद्य सुरक्षा:
   (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
   (ii) अंत्योदय अन्न योजना
8. ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना
9. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास
10. ग्रामीण क्षेत्र
    - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
11. बाल प्रतिरक्षण
12. ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम
13. सांस्थानिक प्रसव
14. सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
15. सहायताप्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार
16. आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण
17. क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ
18. सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

19. वनरोपण
    (क) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र
    (ख) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या
20. विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास
21. वृद्धों का कल्याण
22. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई
23. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
24. पम्पसेटों को बिजली
25. विद्युत आपूर्ति

1.7 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रबोधन, कार्यान्वयन तथा समीक्षा प्रणाली **अनुबंध-I** में दी गई है । प्रत्येक मद के अधीन प्रबोधित किए जाने वाले मानकों, रिपोर्टिंग यूनिट तथा सूचना प्रदान करने वाले अभिकरण के नाम के साथ मासिक और वार्षिक आधार पर प्रबोधित की जाने वाली मदों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है । बीसूका-2006 के अंतर्गत कुछ मदें ऐसी हैं, जहाँ संबंधित योजनाएं अभी शुरू की जानी हैं । कुछ मामलों में संसद द्वारा अधिनियम पारित किए जाने हैं तथा अन्य में योजनाएं बनाई जा रही हैं जो विभिन्न चरणों में हैं । ये मदें उनके शुरू होने के बाद प्रबोधित की जाएंगी । ये मदें निम्नानुसार हैं :

(i) पंचायत की भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केंद्र
(ii) त्वरित और किफायती न्याय - ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
(iii) शुष्क भूमि कृषि
(iv) कृषि और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
(v) सफाई कर्मियों का पुनर्वास
(vi) वन में रहने वालों का अधिकार - लघु वन उत्पादों के मालिक
(vii) शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण
(viii) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल
(ix) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए आईटी समर्थित ई-शासन

बीस सूत्री कार्यक्रम-संक्षिप्त विवरण

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 में 20 सूत्र और 66 प्रबोधन योग्य मदें हैं । कार्यक्रम में शामिल 20 सूत्रों में से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

I. गरीबी हटाओ

गरीबी हटाना भारत में आर्थिक विकास की नीति का एक अविभाज्य घटक रहा है । खराब जीवन स्तर, बुनियादी जरूरतों से वंचित होना, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, निरक्षरता तथा अल्प मानव संसाधन विकास घोर गरीबी के समानार्थक हैं । गरीबी हटाने का अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका रोजगार प्रदान करना है । ग्रामीण क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे रोजगार पैदा करने के प्रमुख कार्यक्रमों को इस सूत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है । ऐसे प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को, जो अकुशल शारीरिक काम करने का इच्छुक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी की गारंटी के साथ कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण इलाकों में परिवारों की जीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उसके साथ संबद्ध अथवा उससे प्रासंगिक मामलों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अस्तित्व में आया है । इसके अलावा, इस सूत्र में ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)' और 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)' जैसी रोजगार प्रदान करने की अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है । 'पंचायतों के साथ भागीदारी में ग्रामीण व्यवसाय केंद्र' योजना का उद्देश्य ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों के माध्यम से देश के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक उदारीकरण का लाभ पहुंचाना है । एसजीएसवाई और एसजीआरवाई के अलावा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गठित 'स्वसहायता ग्रुप' भी शामिल किए गए हैं । शहरी गरीबी से निपटने के लिए 'स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना' अभिज्ञात की गई है ।

II. जन शक्ति

लोगों को अधिकार संपन्न बनाने और उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से "स्थानीय स्वायत्त सरकार (पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय)" जैसी मदों, जिनमें (i) प्रकार्यों के अंतरण के लिए कार्यवाही योजना; (ii) निधियों का बजट बनाना और (iii) पंचायतों द्वारा प्रकार्यों के हस्तांतरण के लिए कार्मिकों के कार्य इस सूत्र के अंतर्गत आते हैं । इस सूत्र में "शीघ्र और किफायती न्याय"; और "जिला योजना समितियां" को भी शामिल किया गया है ।

III. किसान मित्र

किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, "वाटरशैड विकास और शुष्क भूमि कृषि", "किसानों को विपणन और अधिसंरचनात्मक सहायता", कृषि के लिए "सिंचाई सुविधाएं (गौण एवं लघु सिंचाई)", "किसानों को ऋण", "भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण" जैसी मदों के साथ किसान मित्र नामक सूत्र तैयार किया गया है । यहां आशय यह है कि वाटरशैड विकास, गौण एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि के लिए जल की उपलब्धता, तथा शुष्क भूमि कृषि की योजनाएं किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी । उन्हें ऋण, विपणन और अधिसंरचनात्मक सहयोग के जरिए सहायता भी प्रदान की जाएगी । भूमिहीनों को बंजर भूमि के वितरण को भी प्रबोधित किया जाएगा ।

IV. श्रमिक कल्याण

ग्रामीण मजदूर अधिकांशतः असंगठित हैं । कृषि कार्य कम होने पर उनमें से अधिकांश बेरोजगार हो जाते हैं, विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में । न्यूनतम वेतन जैसा वैधानिक अधिकार उनके लिए दूर की बात है । सभी कामगारों, विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र में हैं, का कल्याण और हित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सूत्र में "कृषि एवं असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा", और "न्यूनतम मजदूरी प्रवर्त्तन" (फार्म श्रमिकों सहित) जैसी मदें शामिल की गई हैं । अभिज्ञात खतरनाक व्यवसायों और कामों में लगे बच्चों को वहां से हटाने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति है । इस

नीति के उद्देश्यों के अनुरूप 'बाल श्रम निवारण' मद रखी गई है। महिला श्रमिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए एक अलग सैल का गठन किया है, विशेषकर ऐसी नीतियां बनाने के लिए जिनका प्रयोजन उन असुविधाओं का निराकरण करना है जिनके अंतर्गत महिलाएं काम करती हैं तथा उनकी स्थिति को मजबूत बनाना है, उनके वेतन एवं कार्य की शर्तों में सुधार लाना है, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना और उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए नए अवसरों का पता लगाना है। उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस सूत्र में 'महिला श्रमिक कल्याण' मद शामिल की गई है।

V. खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा खाद्य भंडारण सुविधाओं में सुधार लाने की मध्य-कालिक नीति के लिए **खाद्य सुरक्षा** में "खाद्य सुरक्षाः (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), (ii) अंत्योदय अन्न योजना(एएवाई), (iii) स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना" जैसी मदें शामिल हैं। गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रति टीपीडीएस को अधिक केन्द्रित और लक्ष्यपरक बनाने के लिए, सरकार ने पीडीएस का पुनर्गठन किया है। अंत्योदय अन्न योजना तथा अनाज बैंकों की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब से गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल सके।

VI. सबके लिए आवास

सरकार शहरी नवीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तथा शहरों और नगरों में आवास के बृहत् विस्तार और ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लिए आवास के लिए प्रतिबद्ध है। **सबके लिए आवास** सूत्र में 'ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना', और 'शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास' मदें शामिल हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गते ग्रामीण क्षेत्र में बेघर गरीबों को आवास प्रदान किए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के बेघर ग्रामीण परिवारों को नए आवास बनाने अथवा आवासों

का स्तर सुधारने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय ग्रुप के लोगों की आवास की समस्या से निपटने के लिए 'शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास' मद शामिल की गई है।

VII. शुद्ध पेयजल

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को शुद्ध पेयजल प्रदान करना तथा पेयजल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाना सरकार की प्राथमिक नीति है। इस सूत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्वजलधारा' और 'त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम' तथा शहरी क्षेत्रों में 'त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम' मदें शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सभी गांवों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना, स्थानीय समुदायों को सुरक्षित पेयजल के स्रोत अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए सहायता देना, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जलापूर्ति पर विशेष ध्यान देना है।

VIII. जन-जन का स्वास्थ्य

लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार मानव संसाधन विकास और बेहतर जीवन स्तर का एक अनिवार्य अंग है। सरकार निवारक, प्रोत्साहक और रोगनाशक उपायों के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल और उचित साफ-सफाई के माध्यम से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपना रही है। वस्तुतः उत्पादकता का स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है और स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए **जन-जन का स्वास्थ्य** में 'प्रमुख बीमारियों जैसे (क) एचआईवी/एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ (ङ.) अंधता', 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन', 'बाल प्रतिरक्षण', 'ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम', 'सांस्थानिक प्रसव', 'कन्या भ्रूण हत्या का निवारण', 'माँ और बच्चों के लिए संपूरक पोषक आहार', और 'दो बच्चों का मानक' मदें शामिल हैं।

IX. सबके लिए शिक्षा

मानव विकास के लिए प्राथमिकताओं में से एक शिक्षा है और यह देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है । समाजार्थिक विकास के सभी प्रमुख संकेतक अर्थात्, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर परस्पर जुड़े हुए हैं । साक्षरता दर अन्य संकेतकों की मुख्य निर्णायक रही है । 15-35 के आयु ग्रुप में निरक्षरता को खत्म करने और 14 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब होने के कारण कोई शिक्षा से वंचित न रहे तथा साक्षरता को बढ़ाने के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' और मध्याह्न भोजन योजना - अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जैसी मदों पर **सबके लिए शिक्षा** में बल दिया गया है । सर्व शिक्षा अभियान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक साझा कार्यक्रम है, जिसमें स्तरीय शिक्षा के प्रावधान पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदाय-आधारित दृष्टिकोण द्वारा विद्यालय प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार लाना है । मध्याह्न भोजन योजना संसार में सबसे बड़ा स्कूली पोषण कार्यक्रम है जिसमें 8 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 12 करोड़ बच्चे शामिल हैं । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बचपन में ही बच्चों की पोषण-संबंधी स्थिति में सुधार करना है ।

X. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अल्प संख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के संरक्षण, उनके हितों की रक्षा और उनके लिए सामाजर्थिक न्याय सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है । अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम हाल ही में अस्तित्व में आया है उसका उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान अवसर, उनकी रहने की स्थिति में सुधार और सामुदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम है । उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए 'सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार', सफाई कर्मियों का पुनर्वास', 'सहायताप्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार', 'वनवासियों के अधिकार - लघु वन उत्पाद के मालिक', 'आदिम जनजाति

समूह ', 'जनजाति भूमि का अहस्तांतरण ', 'पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम (पेसा) ', 'अल्प संख्यकों का कल्याण ' , 'सभी अल्प संख्यक समुदायों के बीच व्यावसायिक शिक्षा ' और 'शिक्षा और रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण ' को प्रबोधन के लिए इस सूत्र में शामिल किया गया है ।

XI. महिला कल्याण

सामाजिक विकास महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है और उनकी आवश्यकताएं और हित पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं । सभी कार्यक्षत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसरों द्वारा प्रतिनिहित लिंग समानता से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा । सरकार देश में समाजार्थिक उन्नति और महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है । लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजार्थिक फ्रंट पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए **महिला कल्याण** नामक शीर्ष को "महिलाओं के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता " और (क) पंचायतों (ख) नगरपालिकाओं (ग) राज्य विधानमंडलों और (घ) संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी जैसी मदों के साथ प्रबोधित किया जाएगा ।

XII. बाल कल्याण

बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, इस सूत्र में "आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण " और 'क्रियाशील आंगनवाड़ियां ' मदें हैं । बाल्यावस्था विकास के लिए आईसीडीएस विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है । आईसीडीएस अपने बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता - एक ओर प्री-स्कूली शिक्षा प्रदान करना व दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, शिक्षा प्राप्ति की अल्प क्षमता और मृत्यु दर की चुनौती - भारत के उत्तर का एक श्रेष्ठ प्रतीक है । यह योजना सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं और मददगारों के माध्यम से मूल सेवाओं की ओर उन्मुख एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है । यह सेवाएं 'आंगनवाड़ी ' नामक केंद्रों में प्रदान की जाती हैं । आंगनवाड़ी वस्तुतः एक आंगनरूपी खेलकूद केंद्र, शिशु देखभाल केंद्र होता है जो गांव में ही स्थित होता है ।

XIII. युवा विकास

युवा देश की आशा एवं भविष्य हैं । वे जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हैं । रोजगार के समुचित अवसरों की कमी, सीमित शैक्षिक सुविधाएं, विभाजक और पृथक्तावादी ताकतों की बढ़ती हुई शक्ति, पारंपरिक भारतीय मान्यता प्रणाली का विखंडन और पश्चिमी सभ्यता का आकर्षण आज के युवा की प्रमुख समस्याएं हैं । देश में युवा विकास पर बल देने के उद्देश्य से, **युवा विकास** नामक सूत्र में 'ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल', 'राष्ट्रीय सद्भावना योजना' और 'राष्ट्रीय सेवा योजना' जैसी मदें हैं जिन्हें प्रबोधित किया जाएगा ।

XIV. बस्ती सुधार

हमारे देश, विशेषकर बड़े शहरों में शहरी गंदी-बस्तियां मानवीय दुर्दशा और अपकर्ष का जीता-जागता उदाहरण हैं । शहरीकरण आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास का एक अनिवार्य लक्षण है । शहरी क्षेत्र के विकास में संरचनात्मक असमानताओं के परिणामस्वरूप गंदी बस्तियां बढ़ती हैं । भूमि और घरों की ऊंची कीमतों और निम्न क्रय क्षमता के कारण, शहरी गरीब लोग सस्ते घर के लिए मौजूदा गंदी बस्तियों में रहने अथवा शहर में कहीं भी उपलब्ध खाली भूमि/क्षेत्रों को अधिकृत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं । गंदी बस्तियों में रहने वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से **बस्ती सुधार** नामक सूत्र सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि पट्टा, वहन योग्य लागत पर आवास, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अधीन सहायताप्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या का प्रबोधन करेगा ।

XV. पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि

सभी स्तरों पर सामाजिक प्रेरणा और लोगों की भागीदारी द्वारा विकास प्रक्रिया सहित पर्यावरणीय अनवरता सुनिश्चित करना हमारी विकास नीति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है । कड़े पर्यावरण नियम, सक्षम नियामक अभिकरण और उचित प्रवर्तन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है । पर्यावरणीय अनवरता के लिए जनता की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में मास मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका

है । इसे ध्यान में रखते हुए, इस सूत्र के अंतर्गत 'वनरोपण (क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, (ख) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या' को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 'नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम' के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को भी शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस सूत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 'सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट' नामक मद भी जोड़ी गई है ।

XVI. सामाजिक सुरक्षा

समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस सूत्र में 'विकलांगों और अनाथों का पुनर्वास' और 'वृद्धों का कल्याण' मदें है । सरकार द्वारा अशक्त लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई है । यह नीति अशक्तता की रोकथाम और विकलांग व्यक्तियों के लिए शारीरिक एवं आर्थिक पुनर्वास उपाय किए जाने पर केंद्रित की गई है । यह विकलांग महिलाओं और बच्चों की समस्याओं का भी समाधान करती है । देश के अंदर बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के मुख्य लक्ष्य सहित इन-कंट्री अडॉपशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बच्चों के लिए घर हेतु सहायता योजना शुरू की है । भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है । कुछ वर्षों से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में व्यापक सुधार हो जाने के कारण जीवन अवधि लगातार बढ़ रही है । ज्यादा से ज्यादा लोगों की आयु बढ़ रही है । इसलिए भारत में वृद्ध लोगों का प्रतिशत अत्यधिक है । सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) घोषित की है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों का ध्यान रखने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना है ।

XVII. ग्रामीण सड़क

भारत के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद में अपने अभिभाषण में भारत निर्माण नाम से ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण की बड़ी योजना की घोषणा की थी । सरकार ने ग्रामीण सड़कों की पहचान भारत निर्माण के छः घटकों में से एक घटक के रूप में की है और 1000 लोगों की जनसंख्या (पर्वतीय

और आदिवासी क्षेत्रों में 500) वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) द्वारा वर्ष 2009 तक **सभी मौसमों के अनुकूल सड़क** द्वारा जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रामीण सड़कों के विकास और विस्तार को उच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से **ग्रामीण सड़क** सूत्र जोड़ा गया है ताकि सड़कों के संयोजन द्वारा विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके।

XVIII. ग्रामीण ऊर्जा

बुनियादी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से परिमाण और गुणवत्ता दोनों में ही काफी पीछे हैं। इन क्षेत्रों में बायो-ईंधन जैसे ईंधन, गोबर के उपले और कृषीय अवशेष, ऊर्जा के मुख्य स्रोत बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परंपरागत विद्युत, गैर-परपरांगत ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो-गैस और सौर ऊर्जा प्रणाली दूर-दराज के गांवों में ऊर्जा प्रदान करने के स्रोत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा प्रदान करने के लिए "बायो-डीजल उत्पादन", "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना", नवीकरणीय ऊर्जा, पंपसेटों को बिजली, विद्युत आपूर्ति तथा केरोसीन और एलपीजी की आपूर्ति जैसी मदें इस सूत्र में जोड़ी गई हैं। बायो-डीजल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के भार को भी कम करता है, सरकार बायो-ईंधन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल में, सरकार द्वारा जेटरॉफ करकास के रोपण पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए बायो-डीजल संबंधी राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थाएं विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। सरकार, नवीन एवं नवीकरणकीय ऊर्जा की संपूर्ण रेंज को शामिल करते हुए एक ब्रॉड-स्पैक्ट्रम प्रोग्राम को सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु, लघु जल विद्युत और बायोमास पावर द्वारा परंपरागत विद्युत में इजाफा करना; दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने और बिजली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पहुंचाना और शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना; स्टेशनरी, पोर्टेबल और ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन्स के लिए हाइड्रोजन, सिंथेटिक फ्यूल और बायो-फ्यूल प्रणालियों/उपकरणों जैसे वैकल्पिक ईंधन का विकास करना है। "नवीकरणीय ऊर्जा" मद इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रखी गई है। राष्ट्रीय बिजली नीति घोषित कर दी गई है। इस नीति का उद्देश्य विद्युत

क्षेत्र का त्वरित विकास, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति तथा उपभोक्ताओं और अन्य साझेदारों के हितों की रक्षा है । इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं बिजली तक पहुँच और विद्युत की उपलब्धता । 'विद्युत की आपूर्ति' मद इन मुद्दों का समाधान करती है । ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 'कैरोसीन एवं एलपीजी की आपूर्ति' मद रखी गई है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कैरोसीन का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए इस मद को प्रबोधित करने की जरूरत होगी ।

XIX. पिछड़ा क्षेत्र विकास

देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' नामक मद प्रबोधनार्थ इस सूत्र के अंतर्गत रखी गई है । पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों के समाधान के लिए बनाई गई है । इसका उद्देश्य आधारी संरचना और क्षमता निर्माण द्वारा 250 चयनित जिलों में एकीकृत विकास के समन्वित प्रयास से महत्वपूर्ण विकास करना है । यह कार्यक्रम जिलों में चल रहे बहुविध कार्यक्रमों को एकीकृत करेगा और इस प्रकार जिलों को मिलने वाले संसाधनों के संयोजन से पिछड़ेपन का समाधान करेगा । यह निधि महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने, स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण, और स्थानीय निकायों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन, आयोजन और प्रबोधन के लिए व्यावसायिक सहायता देने के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करेगी ।

XX. ई-शासन

सरकार ने हाल ही में केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार के स्तर पर कार्यान्वित किए जाने के लिए कॉमन कोर एण्ड सपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर तथा अनेक मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपीएस) सहित की कम्पोनेंट्स के साथ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) को मंजूरी दी है । एनईजीपी का उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायों को बेहतर सरकारी सेवा प्रदान करना है । एनईजीपी की संकल्पना कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स द्वारा आम आदमी को अपने क्षेत्र में सरकारी सेवाएं मुहैया करवाना और आम आदमी की मूल

आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सक्षमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, वहनीय लागत पर ऐसी सेवाएं प्रदान करना है । इस संकल्पना को पूरा करने के उद्देश्य से, **ई-शासन** नामक सूत्र (आईटी इनबेल्ड ई-गवर्नेंस) केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के स्तर पर शामिल किया गया है ।

प्रबोधन की रूपरेखा

प्रमुख परिणामी क्षेत्रों में विश्वसनीय सूचना के संचार की गति, संकेतकों को समझने की प्रबोधक की क्षमता और रचनात्मक ढंग से तत्काल हस्तक्षेप करने की योग्यता किसी भी बेहतर प्रबोधन प्रणाली का सारतत्व है । प्रबोधन में, मोटे तौर पर, निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होने चाहिएं :

(क) परियोजना के कार्यान्वयन की वास्तविक प्रगति जिसमें सिविल निर्माण कार्य, उपस्कर की स्थापना, समय पर चालू होना और लागत अनुसूची जैसी मदें शामिल होंगी ।

(ख) जहां वास्तविक लक्ष्य निर्धारित हैं, वहां कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रगति ।

(ग) प्रमुख क्षेत्र जिसमें यूनिटों के लिए सुस्पष्ट संकेतक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के लिए उत्पादन, उत्पादकता और लाभकारी कार्यनिष्पादन का पता लगाया जाए ।

(घ) बनाई गई पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव का यह सुनिश्चित करने के लिए चयनात्मक प्रबोधन कि जिस प्रयोजन के लिए व्यय रखा गया है, वस्तुत उसका उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ड.) योजना व्यय का प्रबोधन यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्रवार परिव्यय के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है ।

प्रबोधन में दिक्कतों के क्षेत्र

3.2 राज्य और जिला स्तरों पर प्रबोधन प्रणाली के संबंध में जिन प्रमुख दिक्कतों का सामना किया जाना है, वे इनसे संबंधित हैं :

(i) सूचना प्राप्त करने में असाधारण विलंब;

(ii) आंकड़ों में बार-बार परिवर्तन;

(iii) सूचना की विश्वसनीयता का आभाव विशेषकर पर्याप्त निरीक्षण तथा स्थान पर जाँच के अभाव में;

(iv) डिजाइन तथा मूल रिकार्डों का अपर्याप्त रखरखाव;

(v) मानकीकरण और नियमन की कमी;

(vi) तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भविष्य की दिक्कतों का अनुमान लगाने का अभाव;

(vii) कार्रवाई निर्धारण का अभाव तथा सूचित की गई सामग्री का अपर्याप्त उपयोग जिससे निष्क्रियता आती है ।

प्रबोधन कार्य

3.3 प्रबोधन अंततोगत्वा एक ऐसा साधन है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना है। प्रबोधन का आरंभिक बिंदु निम्नलिखित द्वारा लक्ष्यों का वियुक्तिकरण है:

(क) कार्य/कार्यक्रम/योजना

(ख) भौगोलिक क्षेत्र: जिला/ब्लॉक और

(ग) समय अवधियां : मासिक/वार्षिक

3.4 संसाधनों, जन शक्ति और अन्य आवश्यक निवेशों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वियुक्तिकरण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्वयं किया जाना है । प्रबोधन कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- वास्तविक प्रगति/कार्य निष्पादन को देखना, उसे वियुक्त लक्ष्यों के साथ मिलाना तथा कमियों और दिक्कतों वाले क्षेत्रों की पहचान करना ।
- विपत्ति संकेत भेजना तथा निर्णय लेने वालों को सूचित करना ।
- दिक्कतों वाले क्षेत्रों का विश्लेषण प्रदान करना, उनकी पहचान करना तथा वैकल्पिक कार्रवाई का सुझाव देना ।
- लिए गए निर्णयों की जानकारी कार्यान्वयन स्तरों पर प्रदान करना ।
- डाटा बैंक विकसित करना तथा उनका रखरखाव ।
- जब कभी आवश्यक हो अन्य स्तरों एवं बाह्य एजेंसियों को सूचित करना ।

प्रबोधन के क्षेत्र

3.5 प्रबोधन की किसी भी प्रणाली में मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत होगी:

- वित्तीयः आबंटन और व्यय ।
- वास्तविकः लक्ष्य प्राप्त करना, उत्पादन, विस्तार आदि ।
- प्रशासनिक कार्यकलापों और मंजूरियों सहित विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए लिया गया समय ।
- लाभ ।

प्रबोधन के स्तर

3.6 प्रबोधन के स्तरों को निर्णय लेने वाले स्तर के साथ जोड़ा जाएगा जो इस प्रकार होगा:

- मूल यूनिटः तालुका/ब्लॉक/जिला ।
- राज्य सरकारः संबंधित तकनीकी/सचिवालय विभाग।
- केंद्रीय सरकारः संबंधित मंत्रालय/केंद्रक विभाग के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ।

प्रणालीगत पहलू

3.7 इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- फील्ड स्तर पर मूल रिकार्डो को कारगर बनाना तथा रखरखाव ।
- मानकीकरण एवं नियमन ।
- सरलीकरण ।
- वास्तविक जांच ।
- आंतरिक और बाह्य एजेंसियों से तथा उनको कार्रवाई का त्वरित प्रेषण ।
- प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित जानकारी तत्काल भेजना ।
- योजना के आधार पर सूचना देने की अवधि का निर्धारण ।

- गहन परियोजना प्रबोधन के लिए पीईआरटी/सीपीएम जैसी तकनीकों का उपयोग ।
- सूचना का हॉरिजेंटिली एंड वर्टीकली दोतरफा प्रेषण ।
- चार्टों, मानचित्र तथा नियंत्रण कक्षों का बार-बार उपयोग ।
- प्रबोधन कर्मचारियों द्वारा फील्ड विजिट ।
- शीघ्र निर्णय लेने के लिए समीक्षा बैठकें ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 का प्रबोधन

सतत प्रबोधन और कार्यक्रम समीक्षाएं कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई नीति का भाग हैं । प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रबोधन प्रणाली एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है । वस्तुतः यह सक्षम और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करती है । कार्यक्रम के प्रबोधन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम के गहन पर्यवेक्षण को राज्य स्तर पर बातचीत, पत्रों, क्षेत्रीय दौरों, मूल्यांकनों और समीक्षाओं द्वारा बढ़ावा देना ही इस मंत्रालय की प्रमुख नीति है ।

4.2 कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रबोधन की प्राथमिक जिम्मेदारी उन अभिकरणों की है जिन्हें कार्यक्रम का निष्पादन सौंपा गया है जैसे इस मामले में राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन और केंद्रीय केंद्रक मंत्रालय । इस प्राथमिक जिम्मेदारी से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रयास बिलकुल अलग हैं । उसे एक पैकेज के रूप में बीस सूत्री कार्यक्रम के सभी घटकों का अधिक व्यापक रूप से प्रबोधन करना है और कार्यान्वयन अभिकरणों को उपयुक्त जानकारी प्रदान करना है ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें । इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से, मंत्रालय केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ लक्ष्यों को अंतिम रूप देने और कार्यक्रम के प्रबोधन के दौरान देखी गई समस्याओं को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श करेगा ।

4.3 बीस सूत्री कार्यक्रम की रिपोर्टिंग विभिन्न स्तरों से आगे की ओर बढ़ेगी और इसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ताओं से सूचना एकत्र करना आवश्यक रूप से शामिल होगा । राज्य मुख्यालयों के संबंधित विभागों तक पहुंचने से पूर्व इस प्रकार से इकट्ठी की गई सूचना पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जाएगी । इसके पश्चात्, इसे समेकित करके एक मानक प्रपत्र में वेब इनेबल्ड सॉफ्टवेयर, ई-मेल,

फैक्स और साधारण डाक द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजा जाएगा । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा इस मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने का फॉर्मेट अनुबंध-III में दिया गया है ।

प्रबोधन व्यवस्था

4.4 अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के पास बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए पहले ही प्रबोधन तंत्र है । सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वहां की सरकारों/प्रशासनों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा केंद्रक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी । ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जहां उच्च स्तरीय कार्यान्वयन और प्रबोधन समितियां नहीं हैं, मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों के अधीन राज्य मुख्यालयों में ऐसी समितियां गठित की जाएंगी । इसके अतिरिक्त, जिला और ब्लॉक स्तर समितियां भी गठित की जाएंगी । इन समितियों में संसद सदस्य/राज्य विधायक और अन्य गैर-सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे । यह प्रबोधन निकाय, बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006 के अंतर्गत मदों के कार्यान्वयन की पूर्ण रूप से समीक्षा करेंगे और तीव्र कार्यान्वयन के लिए बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाएंगे ।

4.5 इस मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रबोधन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होगाः

(i) बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मदों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा 30 अप्रैल तक स्थापित वार्षिक **लक्ष्यों** को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजना।

(ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 25 मदों के लिए **मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)** तैयार करना । मासिक प्रगति रिपोर्ट में वास्तविक वार्षिक लक्ष्यों, मासिक उपलब्धियों और संचयी उपलब्धियों की सूचना होगी । इसकी व्याप्ति राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 21 मदों के संबंध में और केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों द्वारा 4 मदों के संबंध में अपने कार्य निष्पादन के बारे में दिए गए आंकड़ों पर आधारित होगी । यह रिपोर्ट

कार्य निष्पादन के नियमित प्रबोधन और समीक्षा में सहायता करेगी । इससे राज्य/संघ शासित प्रदेश अपने कार्य निष्पादन की तुलना दूसरे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कार्य निष्पादन से कर सकेंगे । चयनित मासिक प्रबोधित मदों के लिए राज्यों के कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणी-तालिका तैयार की जाएगी । राज्यों की श्रेणी इन चयनित मदों के संबंध में उनकी प्रतिशत उपलब्धि पर आधारित होगी । ऐसी आशा है कि इस श्रेणीकरण से राज्यों के बीच कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा ।

(iii) मासिक प्रगति रिपोर्ट में, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कार्य निष्पादन को निम्नलिखित रूप से श्रेणीकृत किया जाएगाः-

(क) "**बहुत अच्छा**" ऐसा निष्पादन जहां लक्ष्य की प्राप्ति 90 प्रतिशत अथवा अधिक होगी ।

(ख) "**अच्छा**" ऐसा निष्पादन जहां लक्ष्य की प्राप्ति 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच होगी ।

(ग) "**खराब**" ऐसा निष्पादन जहां लक्ष्य की प्राप्ति 80 प्रतिशत से कम होगी ।

4.6 इस श्रेणीकरण से इस मंत्रालय को यह जानने में मदद मिलेगी कि संबंधित मंत्रालय अपने कार्यक्रमों को कैसे निष्पादित/कार्यान्वित कर रहे हैं । इसे राज्य सरकारों और केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों की सूचना हेतु और चिंता के क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा ।

वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना

4.7 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्गान्वयन मंत्रालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है क्योंकि नीति बनाने वालों को महत्वपूर्ण योजनाओं और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सूचना एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती है । वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित कदम उठाएगा ।

(i) यह मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ **समीक्षा बैठकें** करेगा ताकि योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आ रहे अवरोधों को चिह्नित किया जा सके और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्यों को संसूचित किया जा सके ।

(ii) राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफलता के आकलन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा **क्षेत्रीय दौरे** किए जाएंगे । यह क्षेत्रीय दौरे दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन और कार्यक्रम के रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे । इससे मंत्रालय को यह जानने में भी सहायता मिलेगी कि क्या जिला और ब्लॉक स्तर पर, बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में पूर्ण कार्यों की सूची और लाभार्थियों के नामो की सूची बनाई जा रही है ।

(iii) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि राज्य सरकारों के समक्ष समस्याएं आती हैं, तो यह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से भी संपर्क करेगा ।

(iv) बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की सभी 66 मदों हेतु **वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के लिए सूचना** इन कार्यक्रमों से संबद्ध संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दी जाएगी । वास्तविक कार्य

निष्पादन के साथ-साथ, वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट, संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी । वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में, मंत्रालय वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन दोनों इंगित करेगा ।

केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों, और राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में बीसूका - 2006 के लिए प्रबोधन-ढांचा

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रबोधन

सभी केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अपने कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए प्रबोधन व्यवस्था की गई है जबकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मंत्रालय, उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रबोधन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं । इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कार्यस्थल पर जांच के लिए क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं और कार्यक्रमों की पुनर्स्थिति निर्धारण और प्रभावी प्रबोधन के लिए आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्देश भी देते हैं ।

5.2 केंद्रक मंत्रालयों/विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रबोधन के प्रयोजन से जिस स्टाफ को नियुक्त किया गया है, उन्हें अन्य प्रशासनिक कार्यों में न लगाया जाए क्योंकि स्टाफ को अन्य कार्यों में लगाए जाने से प्रबोधन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा । केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रबोधन इकाइयों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए ।

5.3 कुछ मंत्रालयों के पास अच्छा प्रबोधन तंत्र है । अन्य मंत्रालयों को नियमित आवधिक रिपोर्टिंग की प्रणाली को विकसित और अपग्रेड करने की आवश्यकता है । बजट आबंटन के वित्तीय प्रबोधन के साथ-साथ, मंत्रालय की योजनाओं में वास्तविक कार्य निष्पादन का भी ध्यान रखना चाहिए । वित्तीय निष्पादन, वास्तविक कार्य निष्पादन के अनुरूप होना चाहिए ।

5.4 कुछ केंद्रक मंत्रालय/विभाग अपनी योजनाओं का एक साथ मूल्यांकन करते हैं । ऐसी योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट, किए गए सुधारात्मक उपायों सहित बिना किसी चूक के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए । योजना पूर्ण होने के बाद भी यह देखने के लिए कि क्या योजना अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है, मूल्यांकन अध्ययन करने की भी जरूरत होगी ।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रबोधन

5.5 देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में योजना विभाग हैं । योजना विभाग के अंतर्गत, एक प्रबोधन/मूल्यांकन इकाइ है **जिसे** बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल सभी योजनाओं के प्रबोधन का दायित्व सौंपा जाएगा । इन योजना विभागों के भी जिला स्तर पर कार्यालय/इकाइयां हैं जो जिला स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम की योजना का प्रबोधन करेंगे और सूचना एकत्र करेंगे । इसी प्रकार, ब्लॉक स्तर अधिकारी और ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं जो ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जा रही बीस सूत्री कार्यक्रम की योजनाओं संबंधी सूचना ब्लॉक और ग्राम स्तर पर एकत्रित करेंगे । अतः सूचना ग्राम से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला और जिले से राज्य को जाएगी ।

5.6 योजना विभाग की तरह, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ऐसे संबंधित विभाग हैं जो अपने सीमा-क्षेत्र के अधीन आने वाले कार्यक्रमों का प्रबोधन करते हैं । ये विभाग योजना विभाग को, जो कि बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए केंद्रक विभाग होंगे, भेजने के लिए सूचना एकत्र करेंगे और जांच करेंगे । इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ शासित प्रदेश सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विभिन्न योजनाओं के अधीन पूर्ण कार्यों की सूची बनाने के निर्देश देंगे । बीसूका-2006 के अंतर्गत मदों के प्रबोधन और सूचना एकत्रित करने में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ।

प्रबोधन समितियां

5.7 विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्यों वाली प्रबोधन समितियां गठित की जाएंगी ।

(क) राज्य स्तरः कुछ राज्यों में प्रबोधन समितियां हैं जिनके अध्यक्ष संबंधित मंत्रियों के साथ राज्य/संघ शासित प्रशासनों के मुख्य मंत्री हैं तथा सांसद/विधायक/एमएलसी, समाज के अन्य क्षेत्रों आदि के नामित सदस्य उसके सदस्य होते हैं । इस समिति में मुख्य सचिव/सचिव योजना/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विकासायुक्त और विभाग के अन्य संबंधित सचिव भी शामिल होते हैं । यह समिति राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है और आवधिक रूप से कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है । जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ऐसी समितियां नहीं हैं वे इनका तत्काल गठन करें ।

(ख) जिला स्तरः कुछ राज्यों में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए जिला प्रबोधन समितियां हैं । जिला प्रबोधन समितियों के अध्यक्ष मंत्री/विधायक/संबंधित जिले के जिला कलेक्टर होते हैं । समिति में लोक सभा/राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य और जिलों के विधायक/एमएलसी शामिल होते हैं । इसमें जिला स्तरीय योजना अधिकारी, अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि और समाज के अन्य वर्गों के नामित सदस्य भी शामिल होते हैं । यह समिति जिले में कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन का आवधिक रूप से प्रबोधन और समीक्षा करेगी । जहां यह समितियां नहीं हैं, वे सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश जिलों में इनका तत्काल गठन करेंगे ।

(ग) ब्लॉक स्तरः ब्लॉक स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी/संबंधित विधायक की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा । इस समिति में स्थानीय विधायकों के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य और समाज के अन्य वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे । यह ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी ।

(घ) ग्राम स्तरः काफी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ग्राम स्तरीय समितियां हैं जिनमें ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता, ग्राम प्रधान/सरपंच और ग्राम सभा के अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ये समितियां सरकार द्वारा ग्राम में किए गए व्यय, कार्यों/लाभार्थियों की वास्तविक जांच और सामाजिक लेखा परीक्षा इत्यादि सहित बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रबोधन करती हैं। जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ऐसी समितियों का गठन नहीं किया गया है, वे उनके गठन की तत्काल कार्रवाई करें और उन्हें शीघ्र प्रभावी बनाएं।

5.8 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर, यह सुझाव दिया जाता है कि समितियां निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में शामिल करें, हालांकि राज्य सरकारें राज्य स्तर पर उचित निर्णय ले सकती हैं :

राज्य स्तर पर गठन

अध्यक्षः मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव

उपाध्यक्षः राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

सदस्यः

सभी मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव/संबंधित मंत्रालयों के सचिव, मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् युवा नेता

जिला स्तर पर गठन

अध्यक्षः जिले का प्रभारी मंत्री/कलेक्टर/जिला आयुक्त

उपाध्यक्षः राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

सदस्यः

जिले से केंद्रीय और राज्य के मंत्री, जिले से सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, बीसूका से संबंधित अधिकारी

सदस्य-सचिवः

जिला विकास अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी

अन्य मनोनीत सदस्यः

महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पंचायतों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व-सैनिकों, युवा मोर्चा, विकास कार्य में रूचि रखने वाले व्यक्तियों इत्यादि में से ।

ब्लॉक स्तर पर गठन

अध्यक्षः पंचायत मुखिया/अपर कलेक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट/स्थानीय सांसद/विधायक

सदस्य-सचिवः ब्लॉक विकास अधिकारी

सदस्यः

ग्राम प्रधान/उप-प्रधान/ग्राम सभा के सदस्य, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता आदि ।

बैठकों की आवृत्ति

राज्य स्तरीय समितियों की बैठक वर्ष में दो बार, जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में तथा ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक हर माह होनी चाहिए । राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 1 अप्रैल, 2007 तक राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रबोधन समितियों का गठन कर लेना चाहिए ।

बैकवर्ड एण्ड फॉरवर्ड लिंकेज

5.9 बीस सूत्री कार्यक्रम, विशेषकर जमीनी स्तर पर गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित किया जाना अति आवश्यक है । यह देखा गया है कि हालांकि विभिन्न योजनाएं

भली-भांति तैयार की गई हैं लेकिन कार्य-प्रणाली उससे मेल नहीं खाती और सुधार की आवश्यकता है। कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएं :-

(क) मूल कार्यः

(i) सभी संबंधित केंद्रक मंत्रालयों/विभागों को अग्रिम रूप से यथार्थवादी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिएं। कार्यक्रम के समय पर कार्यान्वयन के लिए, बीस सूत्री कार्यक्रम की मदों के लिए लक्ष्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ होते ही अप्रैल के अंत तक निर्धारित कर लिए जाने चाहिएं ताकि राज्य सरकारें राज्यवार, जिलावार और ब्लॉकवार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की योजना बना सकें। निर्धारित लक्ष्यों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को किए गए वित्तीय आबंटनों के बीच संगतता होनी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अंतिम लक्ष्य, वित्तीय वर्ष की 31 मई तक निर्धारित कर लिए जाने चाहिएं और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेजे जाने चाहिएं।

(ii) लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा बैठकों में स्वयं लोगों की मदद से किया जाना चाहिए।

(iii) विभिन्न योजनाओं के लिए निधि को समय पर आबंटित/जारी किया जाना चाहिए।

(ख) **कार्यों और लाभार्थियों की सूची**

सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों और शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों सहित शुरू किए जाने वाले कार्यों ता जो पिछले माह के दौरान पूरे कर लिए गए हैं, उनकी सूचियां ग्राम स्तर पर तैयार की जानी चाहिएं तथा ब्लॉक और जिला स्तर पर समेकित की जानी चाहिएं।

(ग) सभी कार्यान्वित योजनाओं की जांच

(i). प्रमुख कार्यों की कार्यस्थल पर जांच की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, जिसमें जिला स्तर के वर्तमान स्टाफ का उपयोग किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन से जिला अधिकारी (डीएम) या जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला कार्य दल बनाया जा सकता है ।

(ii). पर्यवेक्षक स्तर पर, प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्रभागीय कार्य दल गठित किया जाना चाहिए, जिसके सभी प्रभागीय अधिकारी सदस्य हों । प्रत्येक प्रभागीय स्तर अधिकारी को वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण के लिए एक ब्लॉक सौंपा जाना चाहिए ।

(iii). समीक्षा और आकस्मिक जांच के लिए प्रधान सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन की अध्यक्षता में संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और कुछ विशेषज्ञों सहित एक राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन किया जाना चाहिए ।

(iv). कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों से प्राप्त कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट पर कार्रवाई करके उसे मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग मंत्री और मुख्य मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आगे के आदेशों हेतु प्रत्येक माह भिजवाया जाना चाहिए । यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी भेजी जानी चाहिए ।

5.10 पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सहभागी प्रबोधन

(क) पंचायतों द्वारा सहभागी प्रबोधन

(i) पंचायतें लंबे समय से भारतीय गांवों की जीवंत और गतिशील निकाय रही हैं । यह गांवों के विकास की मुख्य स्रोत रही हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक स्वरूप की आधारशिला रही हैं । पंचायती

राज को संवैधानिक संशोधनों द्वारा सुदृढ़ किया गया है जिन्होंने ऐसी संस्थाओं को सशक्त बनाया है ।

(ii) विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए कुछ राज्यों ने 'जन सुनवाई' (पब्लिक हियरिंग) कार्यक्रम शुरू किया है जहां गांव के लोग यह जांच करने के लिए एकत्रित होते हैं कि सरकारी बिलों और वाऊचरों में जिन सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा है, वे वास्तव में किए गए हैं । यह जमीनी स्तर पर स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रभावी प्रदर्शन है जहां अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है । इससे यह पता चलता है कि स्थानीय ग्रामवासी अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक हैं और प्रशासन द्वारा ग्राम/ब्लॉक स्तर पर किए गए विकासात्मक कार्यों में अपना दखल चाहते हैं । अधिकतर राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र योजनाओं में, जिनमें से अधिकतर बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, विकासात्मक कार्यों और लाभार्थियों की सूचियों के बारे में सूचना मांगने का अधिकार पंचायतों को दिया है ताकि वो कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन कर सकें ।

(iii) पंचायतों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रबोधन किए जाने को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम प्रबोधन की प्रक्रिया में पंचायतों के कार्यकर्ताओं को शिक्षित बनाने के लिए कदम उठाने होंगे । आंकड़े एकत्र करने और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए अभिकरणों को सहायता प्रदान करने के लिए पंचायतों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है । सभी कार्यान्वयन विभागों के प्रबोधन अभिकरणों को जिला और ग्राम स्तर पर मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि आंकड़ों की प्राप्ति में कोई अवरोध न हो । सभी स्तरों पर समुचित स्टाफ होना चाहिए ताकि विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों का उचित प्रबोधन सुनिश्चित किया जा सके । स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच संपर्क को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि हर वक्त दोनों ओर सूचना का आदान-प्रदान होता रहे । स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें अपने स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण करने और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए । आवश्यकता पड़ने

पर अंदरूनी लचीलेपन सहित रिपोर्टिंग प्रणाली का मानकीकरण बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन को सुप्रभावी बनाने में सहायक होगा। मासिक प्रगति रिपोर्ट के फॉर्मेट के आधार पर, जो इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, राज्यों को इस कार्य को करना चाहिए।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सहभागी प्रबोधन

स्थानीय लोगों के सीधे रूप से शामिल होने और कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त, यह लगातार देखा जा रहा है कि अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यक्रमों से प्रभावित होने वाले स्थानीय ग्रुप और मुख्य कार्यान्वयन अभिकरणों के अन्य सहयोगी अभिकरण, शामिल हैं। गैर सरकारी संगठनों को बीस सूत्री कार्यक्रम की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के प्रबोधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपयोग किया गया है। प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन और राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत अन्य संगठन, जो देश के पिछड़े और दूरगामी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और जिनमें बीस सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं का प्रबोधन करने की व्यावसायिक विशेषज्ञता हो, का प्रबोधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रभावी प्रबोधन के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि केवल ऐसे अभिकरण जो वास्तव में गांवों में हैं और जनसाधारण के बीच काम कर रहे हों, को इस कार्य मे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5.11 एकीकृत दृष्टिकोण

गांव, ब्लॉक अथवा जिले के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के प्रयास किए जाने चाहिएं। उदाहरण के लिए, किसी गांव के एकीकृत विकास के लिए रोजगार सृजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत इत्यादि जैसी बीस सूत्री कार्यक्रम की महत्वपूर्ण मदों को गांव/ब्लॉक/जिला में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

5.12 सार्वजनिक भागीदारी

(i) सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए पंचायतें, नगर निगम/नगर पालिकाएं/अन्य स्थानीय स्वायत सरकारी निकाय, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर-सरकारी संगठन, अनुसंधान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता अवश्यंभावी हैं । इन योजनाओं के प्रबोधन में लोगों को शामिल करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई हैं, जिनके लिए उन्हें शुरू किया गया था ।

(ii) ग्रामीण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिएं । इसी प्रकार, शहरों में नगरनिगमों और नगरपालिकाओं को शहरों/नगरों में सामाजिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए ।

(iii) प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित लाभार्थियों को तंग/शोषण न किया जाए और उन्हें सामान्य समय में और सामान्य प्रक्रिया में योजना के लाभ मिलें, सभी सरकारी और अन्य संगठनों में, जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं, नागरिक चार्टर लगाए जाने चाहिएं ।

5.13 उपयुक्त श्रमशक्ति

(i) राज्यों और केंद्र की प्रबोधन इकाइयों में योग्य व्यावसायिक स्टाफ होना चाहिए । हालांकि, यह पहलू विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों में दर्शाया गया है, वास्तविक अनुभव यह है कि योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभागों में अयोग्य स्टाफ नियुक्त किया गया है । वांछनीय यह है कि कुशल/व्यावसायिक रूप से सक्षम अधिकारी/स्टाफ इन विभागों में नियुक्त किया जाए ।

(ii) व्यावसायिक/शिक्षाविदों जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में काम कर रहे हैं, को विभिन्न योजनाओं में अनुबंध आधार पर लगाया जाना चाहिए ।

(iii) ऊपर दी गई कार्रवाई योजना संकेतात्मक प्रकृति की है । विद्यमान प्रबोधन प्रणाली तदर्थ एवं अक्षम है । उसमें संसाधनों के बेहतर उपोग को बढ़ावा देने के मूल उद्देश्य में कोई मदद नहीं मिल रही है । केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रशासनों के बीच उचित नेटवर्किंग सहित एक सशक्त प्रबोधन प्रणाली जो पारस्परिक सहयोग की प्रकृति की हो, को जल्द ही विकसित करने की आवश्यकता है । यह आशा की जाती है कि केंद्रक मंत्रालयों, राज्यों और संघ शासित प्रशासनों के प्रबोधन अभिकरण बीसूका-2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाए गए उपायों पर ध्यान देंगे ।

राज्यों का श्रेणीकरण

बीसूका-2006 के अधीन मासिक आधार पर राज्यों के कार्य निष्पादन के श्रेणीकरण के प्रयोजन से, निम्नलिखित 15 मदों को अनंतिम रूप से चिह्नित किया गया है ।

1. खाद्य सुरक्षाः
   (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
   (ii) अंत्योदय अन्न योजना,
2. ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना
3. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास
4. ग्रामीण क्षेत्र
   -- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
5. बाल प्रतिरक्षण
6. ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम
7. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
8. सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार
9. आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण
10. क्रियाशील आँगनवाड़ियाँ
11. वनरोपण
    (क) वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - सार्वजनिक एवं वन भूमि
    (ख) रोपित पौधों की संख्या - सार्वजनिक एवं वन भूमि
12. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई
13. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
14. पंपसेटों को बिजली
15. विद्युत आपूर्ति

6.2 इसके अतिरिक्त, 9 ऐसी मदें हैं जिन्हें संबंधित केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों द्वारा अभी तक शुरू नहीं किया गया है । जब इन मदों को शुरू किया जाएगा, इनमें से कुछ मदें श्रेणीगत मदों में स्थान पा सकती हैं । राज्यों के श्रेणीकरण के प्रयोजनार्थ इन मदों के चयन का आधार उनका महत्व और साथ ही पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में मासिक रिपोर्टिंग हेतु उनकी अनुकूलता है ।

6.3 विभिन्न मदों के अंतर्गत राज्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार राज्यों द्वारा भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट में दर्शाई गई अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि है। प्रत्येक मद के संबंध में प्रतिशत उपलब्धि की गणना की जाएगी और अंक दिए जाएंगे। श्रेणीकरण के प्रयोजन से राज्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के मानंदड निम्नलिखित हैः

	अंक
श्रेणी 'क' 90 प्रतिशत और अधिक उपलब्धि	3
श्रेणी 'ख' राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रतिशत उपलब्धि	2
श्रेणी 'ग' राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिशत उपलब्धि	1
श्रेणी 'घ' 'शून्य' उपलब्धि	0

6.4 प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक माह एक श्रेणी तालिका तैयार की जाएगी। राज्यों के श्रेणीकरण के लिए प्रयोग में लाया गया प्रपत्र निम्नलिखित है।

राज्य	मदों की संख्या	अधिकतम अंक	श्रेणी में मदें				कुल अंक	प्रतिशत उपलब्धि	श्रेणी
			क	ख	ग	घ			

बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता का उपयोग

स्रोत से समय पर और सही सूचना प्रबोधन इकाई तक पहुंचना ही प्रभावी प्रबोधन का आधार है । इस समय अधिकतर मंत्रालयों की प्रबोधन इकाइयां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य मंत्रालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए डाक प्रणाली पर ही आश्रित हैं जिसमें समय लगता है । वर्तमान परिवेश की मांग है कि उपभोक्ता के पास सूचना शीघ्रातिशीघ्र पहुंचे, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके । सूचना प्राप्त करने में होने वाला विलंब तत्काल कार्रवाई किए जाने में एक मुख्य बाधा है । बिना किसी विलंब के प्रो-एक्टिव सुधारात्मक उपाय तभी किए जा सकते हैं जब फील्ड से सूचना समय पर पहुंचे ताकि परियोजना विकासकर्ता सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल शुरू कर सकें । समस्याओं को दूर करने और सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित करने के लिए साझेदारों में बाधा रहित सूचना का संचार अति आवश्यक है । इस सूचना युग में संप्रेषण के नए तरीकों को अपनाना सभी संगठनों के लिए सतत प्रक्रिया होनी चाहिए ।

7.2 इस समय राज्यों/सघ शासित प्रदेशों से मासिक प्रगति रिपोर्ट इंटरनेट (वेब एनेबल्ड सॉफ्टवेयर)/डाक/फैक्स द्वारा प्राप्त हो रही है । अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्रगति रिपोर्ट सामान्य डाक द्वारा भेज रहे हैं । कुछ राज्य हैं जो मासिक प्रगति रिपोर्ट ई-मेल के साथ डाक द्वारा भी भेज रहे हैं । इस प्रक्रिया में, प्रयास और पेपर वर्क दोनों में वृद्धि होती है ।

7.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के योजना विभागों को कम्प्यूटर हार्डवेयर और संगत सॉफ्टवेयर की एक इकाई प्रदान की है । इस मंत्रालय के नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर (NIC) सैल ने एक वेब एनेबल्ड सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसके द्वारा राज्य/संघ शासित प्रशासन मानक प्रपत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट

भेज रहे हैं । इस संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है । इस समय केवल 11 राज्य/संघ शासित प्रदेश मासिक प्रगति रिपोर्ट को भेजने के लिए इस वेब एनेबल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं । शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा डाटा के त्वरित प्रेषण के लिए अभी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना है । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भेजी गई सूचना स्वतः ही डाटाबेस में चली जाती है । यह अभिकरण जो इंटरनेट कनैक्शन, परामर्श, ऑफिस ऑटोमेशन, और अन्य कम्प्यूटर संबंधित इंटरनेट कनेक्शन जैसे बहुमुखी कार्यों का निष्पादन कर रहा है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान कर सकते हैं यदि वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन के प्रयोग में उन्हें कोई मुश्किल आती है ।

एमआईएस फॉर्मेट का विकास

7.4 ब्लॉक से जिले और जिले से राज्य स्तर पर सूचना के प्रवाह को राज्य सरकार द्वारा विकसित और संचालित किया जाना चाहिए । राज्य सरकार इस संबंध में जिला एनआईसी सेंटर की सहायता ले सकती है । राज्यों से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचना भेजने का प्रपत्र सभी राज्यों के लिए एक जैसा होगा जैसा **अनुबंध-III** में दिया गया है । संशोधित बीसूका-2006 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय के एनआईसी सैल द्वारा वर्तमान वेब एनेबल्ड सॉफ्टवेयर को संशोधित किया जाएगा ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 का मूल्यांकन

हालांकि, कार्यक्रम/योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन को एक अनिवार्य पहलू माना गया है, इसे उसका उचित महत्व नहीं मिला है । समय-समय पर और कार्यक्रम पूर्व मूल्यांकन अध्ययन किसी भी योजना/स्कीम का अभिन्न अंग है । कार्यक्रम का समय-समय पर मूल्यांकन, कार्यक्रम की अंतर्निहित कमियों को उजागर करता है और सुधारात्मक कार्रवाई करने के अवसर प्रदान करता है ।

8.2 मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, बीसूका-2006 के कार्य निष्पादन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन के लिए कार्रवाई की जाएगी । बीसूका-2006 की कुछ मदों का बार-बार अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा । संपूर्ण देश में विशिष्ट मदों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है ।

8.3 इस प्रयोजन से, 11वीं योजना अवधि के दौरान मूल्यांकन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित केंद्रीय केंद्रक मंत्रालयों और योजना आयोग के कार्यक्रम कार्यान्वयन मूल्यांकन संगठन के परामर्श से बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल मदों की पहचान करेगा । यह मूल्यांकन अध्ययन सारे देश में चयनित राज्यों में, चयनित जिलों के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और परामर्शदाताओं द्वारा किया जाएगा ।

8.4 मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, मंत्रालय अपेक्षित सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित केंद्रक मंत्रालयों और योजना आयोग को जानकारी प्रदान करेगा ।

8.5 यह जानने के लिए कि कार्यक्रम के लक्ष्य कहां तक पूरे हुए हैं, यह भी संकल्पना की गई है कि उसी आधार पर कार्यक्रमोत्तर अध्ययन किए जाने चाहिएं जैसे कि ऊपर पैरा 8.3 में दिया गया है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में प्रबोधन, कार्यान्वयन तथा समीक्षा प्रणाली

इनपुट	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और केंद्रक मंत्रालयों से मासिक रिपोर्ट
प्रोसेसिंग	मासिक प्रगति रिपोर्ट का समेकन और विश्लेषण
आउटपुट	• मासिक प्रगति रिपोर्ट • कैप्सूल रिपोर्ट • बीसूका-2006 की सभी मदों पर आधारित वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट
मूल्यांकन अध्ययन	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निष्पादन का मूल्यांकन और प्रभाग
अनुवर्ती कार्रवाई	• मंत्री की ओर से मुख्य मंत्रियों को पत्र • मुख्य मंत्री के साथ चर्चा/राज्य मुख्यालय का दौरा और क्षेत्रीय दौरा • केंद्रीय मंत्रालयों के साथ चर्चा • प्रधान मंत्री कार्यालय और मंडिमंडल सचिवालय के ध्यान में प्रमुख मुद्दे लाना ।

बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006

बीसूका-2006 के अंतर्गत प्रबोधित किए जाने वाले मानकों/संकेतकों, रिपोर्टिंग की आवृत्ति और सूचना देने वाले अभिकरणों सहित प्रबोधित की जाने वाली मदों की सूची ।

मद स	सूत्र/मद का नाम	प्रबोधित किए जाने वाले मानक/संकेतक/योजनाए	यूनिट	रिपोर्टिंग की आवृत्ति	सूचना देने वाले अभिकरण का नाम
I. गरीबी हटाओ					
	ग्रामीण क्षेत्र				
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना	(i) जारी जॉब कार्डों की स (ii)पैदा किया गया रोजगार (iii)नकद और वस्तु के रूप में दी गई मजदूरी	संख्या संख्या रुपये	**मासिक**	राज्य/संघ शासित प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय
2	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	सहायताप्राप्त स्वरोजगारी व्यक्ति (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii)अनुसूचित जनजाति (iv) महिलाए (v) विकलांग व्यक्ति	संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या	**मासिक**	**राज्य/संघ शासित प्रदेश** ग्रामीण विकास मंत्रालय
3	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	पैदा किया गया मजदूरी वाला रोजगार (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii)अनुसूचित जनजाति (iv) महिलाए	श्रम दिवसों की संख्या	**मासिक**	राज्य/संघ शासित प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय
4	पंचायतों के साथ भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केन्द्र	**इस मद की विभिन्न योजनाओं के** अधीन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर **हस्ताक्षर किए जाने हैं ।**		वार्षिक	पंचायती राज मंत्रालय
5	स्व सहायता ग्रुप	एसजीएसवाई के अधीन स्व सहायता ग्रुप - गठित स्व-सहायता ग्रुप - स्व-सहायता ग्रुप जिसे आय पैदा करने के कार्यकलाप प्रदान किए गए है । अन्य योजनाओ के अधीन स्व-सहायता ग्रुप	संख्या संख्या संख्या	**मासिक** वार्षिक	राज्य/संघ शासित प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय नबार्ड जैसे स्रोतों से जानकारी एकत्र की जानी है ।
	शहरी क्षेत्र				
6	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	(क) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम: पैदा किए गए मजदूरी वाले रोजगार (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii)अनुसूचित जनजाति	संख्या संख्या संख्या	वार्षिक	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

		(iv)महिलाएं (ख) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रमः स्व-रोजगार के लिए सहायता प्राप्त व्यक्ति (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii)अनुसूचित जनजाति (iv)महिलाएं	संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या	वार्षिक	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
II जनशक्ति					
7	स्थानीय स्वायत्त सरकार (पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय) - कार्यो के हस्तांतरण के लिए कार्यकलापों का निरूपण - निधि की बजट व्यवस्था - कर्मचारियों के कार्य	29 कार्यकलापों में से पंचायतों को हस्तांतरित कार्यकलापों की संख्या की स्थिति का प्रबोधन किया जाना ।		वार्षिक	पंचायती राज मंत्रालय
8	शीघ्र और किफायती न्याय - ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायतें	न्याय पंचायत का एक **विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है । एक बार जब विधेयक पारित हो जाएगा, जानकारी प्रदान की जाएगी ।**			पंचायती राज मंत्रालय
9	जिला योजना समितियां	जिला योजना समितियों के गठन की स्थिति का प्रबोधन किया जाना है ।		वार्षिक	पंचायती राज मंत्रालय
III किसान मित्र					
10	वाटरशैड विकास शुष्क भूमि कृषि	शामिल क्षेत्र शुष्क भूमि कृषि प्रणाली की निरंतरता को बढाने के लिए एक प्रायोगिक स्कीम देश के बंजर और अर्ध बंजर क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है । **इस स्कीम का अभी अनुमोदन किया जाना है ।**	हेक्टेयर	वार्षिक	ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय
11	विपणन और किसानों को अधिसंरचनात्मक सहयोग	(i) ग्रामीण गोदामों का निर्माण/ग्रामीण भंडारण योजना - निर्मित भंडारण क्षमता - विपणन इन्फ्रास्ट्रकचर (ii) कृषि विपणन इन्फ्रास्ट्रकचर का विकास, श्रेणीकरण और मानकीकरण - बाजार के विकास से संबंधित परियोजनाएं तथा स्वीकृत विपणन इन्फ्रास्ट्रकचर	 टन संख्या संख्या	 वार्षिक वार्षिक वार्षिक	 कृषि मंत्रालय कृषि मंत्रालय कृषि मंत्रालय

12	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (लघु और माइक्रो सिंचाई)	(i) कृषि के लिए माइक्रो सिंचाई - ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - बौछारी सिंचाई के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ii) लघु सिंचाई - शामिल क्षेत्र - निर्मित सिंचाई संभावना -अनुशंसित/अनुमोदित स्कीमों की संख्या	हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर संख्या	वार्षिक वार्षिक वार्षिक वार्षिक वार्षिक	कृषि मंत्रालय कृषि मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय
13	किसानों को ऋण	जारी क्रेडिट कार्ड	संख्या	वार्षिक	कृषि मंत्रालय
14	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	वितरित भूमि (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii) अनुसूचित जनजाति (iv) अन्य	हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर	मासिक	राज्य/संघ शासित प्रशासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय
IV. श्रमिक कल्याण					
15	कृषि तथा असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	'असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम' **सरकार के विचाराधीन है ।**			श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
16	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिकों सहित)	(क)कृषि एवं फॉर्म कामगार (i) किए गए निरीक्षण (ii) पता लगाई गई अनियमितताएं (iii) दूर की गई अनियमितताएं (iv) फाइल किए गए दावे (v) निपटाए गए दावे (vi) लंबित अभियोजन मामले (vii) फाइल किए गए अभियोजन मामले (viii) निर्णीत अभियोजन मामले (ख) अन्य	संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या	मासिक मासिक मासिक मासिक मासिक मासिक मासिक मासिक मासिक	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
17	बाल मजदूरी निवारण	(i) गठित प्रोजेक्ट सोसाइटियां (ii) खोले गए स्कूल (iii) शामिल बच्चे (iv)मुख्यधारा में लाए गए बच्चे	संख्या संख्या संख्या संख्या	वार्षिक वार्षिक वार्षिक वार्षिक	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
18	महिला मजदूरों का कल्याण	इस मद से संबंधित जानकारी महिला कामगारों से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाएगी ।		वार्षिक	श्रम एवं रोजगार विभाग
V खाद्य सुरक्षा					
19	खाद्य सुरक्षाः (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	(i) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्य अनाजों का आबंटन	टन	मासिक	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

	(ii) अंत्योदय अन्न योजना	(ii) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कुल खरीद	टन	मासिक	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
		(i) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्य अनाजों का आबंटन	टन	मासिक	-वही-
	(iii) स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना	(ii) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कुल खरीद	टन	मासिक	-वही-
		स्थापित अनाज बैंक	संख्या	वार्षिक	-वही-
VI. सबके लिए आवास					
20	ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	(i) स्वीकृत आवास (ii) निर्मित आवास	संख्या संख्या	मासिक मासिक	राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें, ग्रामीण विकास मंत्रालय
21.	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास	(i) स्वीकृत आवास (ii) निर्मित आवास	संख्या संख्या	मासिक मासिक	राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें, ग्रामीण विकास मंत्रालय
VII. शुद्ध पेयजल					
22.	ग्रामीण क्षेत्र - स्वजलधारा - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	**स्वजलधारा योजना को छोड़ दिया गया है ।** (i) शामिल निवासी (एनसी एण्ड पीसी) (ii) जल गुणवत्ता समस्या वाले शामिल निवास स्थान	संख्या संख्या	मासिक	राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें, ग्रामीण विकास मंत्रालय
23.	शहरी क्षेत्र - त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम	(i) शामिल किए जाने वाले शहर (ii) शामिल किए गए शहर	संख्या संख्या	वार्षिक	शहरी विकास मंत्रालय
VIII. जन-जन का स्वास्थ्य					
24	गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम: (क) एचआईवी/एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ (ङ) अंधता	यह मद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है ।'आशा' चयनित एवं प्रशिक्षित, सीएचसी, पीएचसी और स्थापित उप-केन्द्रों, गठित रोगी कल्याण समितियों आदि जैसे विषयों पर सूचना मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी		वार्षिक	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
25.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	'आशा' चयनित एवं प्रशिक्षित, सीएचसी, पीएचसी और स्थापित उप-केन्द्रों, गठित रोगी कल्याण समितियों आदि जैसे विषयों पर सूचना मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी		वार्षिक	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
26.	बाल प्रतिरक्षण	(i) रूटीन टीकाकरण में टेटनेस, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी और मीजल्स शामिल हैं			राज्य/संघ शासित सरकारें तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

		- शिशु टीकाकरण (ii) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम - शिशुओं को लगाए गए टीके	संख्या संख्या	मासिक मासिक	
27.	- ग्रामीण क्षेत्रों - शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	(i) निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय शहरी क्षेत्रों मे स्वच्छता कार्यक्रम जेएनएनयूआरएम स्कीम के अंतर्गत शामिल है । शहरी विकास मंत्रालय वार्षिक आधार पर जानकारी प्रदान करेगा ।	संख्या	मासिक वार्षिक	पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय
28.	सांस्थानिक प्रसव	संस्थानों में प्रसव	संख्या	मासिक	राज्य/संघ शासित सरकारें तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
29.	कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम	(i) जन्म के समय लिंग अनुपात (ii) पीएनडीटी अधिनियम के अधीन मामले/दोष सिद्ध करना	 संख्या	वार्षिक वार्षिक	भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय
30.	मां और बच्चों के लिए सम्पूरक पोषक आहार	(i) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत सम्पूरक पोषक आहार प्राप्त करने वाले बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक) (ii) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत सम्पूरक पोषक आहार प्राप्त करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या	संख्या संख्या	वार्षिक वार्षिक	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
31	दो बच्चों का मानक	(i) स्टरलाइजेशन (ii) आईयूडी इनशरशन्स	संख्या संख्या	वार्षिक वार्षिक	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
IX. सबके लिए शिक्षा					
32.	सर्वशिक्षा अभियान	(i) शिक्षक की नियुक्ति (ii) स्कूल भवनों का निर्माण (iii)प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर 5% प्वाइंट घटाना	संख्या संख्या प्रतिशत	वार्षिक	प्राथमिक एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
33.	मध्याह्न भोजन योजना - अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा	(i) मध्याह्न भोजन का लाभ उठाने वाले बच्चों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या (ii) राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार आबंटित और प्रयुक्त खाद्य अनाज (iii) राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार आबंटित निर्माणाधीन किचन शैड यूनिट	संख्या मीट्रिक टन संख्या	वार्षिक	प्राथमिक एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

X. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण					
34.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	संख्या	**मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर लाभ पाने वालों की संख्या दर्शाने वाला एक नोट प्रस्तुत किया जाएगा)
35.	सफाई कर्मियों का पुनर्वास	**इस संबंध में योजना अभी शुरू की जानी है**			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
36.	सहायताप्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार	सहायताप्राप्त परिवार	संख्या	**मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें जनजातीय कार्य मंत्रालय (केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित जानकारी वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी)
37.	वन में रहने वालों के अधिकार—लघु वन उत्पादों के मालिक	इस मद पर एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है । **विधेयक पारित होने पर जानकारी प्रदान की जाएगी**		वार्षिक	जनजातीय कार्य मंत्रालय
38.	आदिम जनजाति समूह	(i) पूर्णतः आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) के विकास के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यनिष्पादन का प्रबोधन		वार्षिक	जनजातीय कार्य मंत्रालय
		(ii) प्रत्येक पीटीजी परिवार के लिए बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) की प्रगति का प्रबोधन		वार्षिक	जनजातीय कार्य मंत्रालय
39.	जनजातीय भूमि का अहस्तांतरण	जनजातीय भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम और हस्तांतरित भूमि वापस लौटाने के अधीन जनजातीय भूमि हस्तांतरण के मामलों की संख्या: (i) न्यायालय में दायर (ii) निपटाए गए मामले (iii) निरस्त मामले (iv) आदिवासियों के पक्ष में निर्णीत मामले (v) न्यायालय में लंबित मामले		वार्षिक	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
40	पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम [पेसा]	राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति का प्रबोधन		वार्षिक	पंचायती राज मंत्रालय

41.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	(i)अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम । अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक योजनाएं है । इन योजनाओं से संबंधित प्रगति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी । (ii)अल्पसख्यकों के लिए कोचिंग एव संबद्ध मामले - लाभान्वित विद्यार्थी	संख्या	वार्षिक वार्षिक	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
42.	सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच व्यावसायिक शिक्षा	सभी अल्पसंख्यक समुदायो के बीच व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की कोई योजना नहीं है		वार्षिक	जानकारी एआईसीटीई, यूजीसी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी
43.	- शिक्षा	**अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित विधेयक का अभी अनुमोदन किया जाना है ।**			उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय एक बार विधेयक पारित होने के बाद जानकारी प्रदान करेगा
	- रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण	(i) केन्द्रीय सरकारी सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (ii) सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर ओबीसी उम्मीदवारो द्वारा भरी गई तथा आरक्षित रिक्तिया	संख्या संख्या	वार्षिक वार्षिक	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
XI. महिला कल्याण					
44.	महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता	इस मद के अंतर्गत स्वयंसिद्धा, स्वाधार, राष्ट्रीय महिला कोष और महिलाओं के लिए रोगगार कार्यक्रम(स्टैप) जैसी विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा ।		वार्षिक	महिला एवं बाल विकास विभाग
45.	महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी (क) पंचायतों में (ख) नगरपालिकाओं में (ग) राज्य विधानमंडलों में (घ) संसद में	पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी नगरपालिकाओं में महिलाओं की भागीदारी राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी संसद में महिलाओं की भागीदारी		वार्षिक वार्षिक वार्षिक वार्षिक	पंचायती राज मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय राज्य/संघ शासित सरकारें संसदीय कार्य मंत्रालय

XII. बाल कल्याण					
46.	आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण	आईसीडीसी ब्लॉक ऑपरेशनल (संचयी)	संख्या	मासिक	राज्य/संघ शासित सरकारें तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
47.	क्रियाशील आंगनवाड़ियां	(i)क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी) (ii) शामिल बच्चे (iii) ध्यान में आए कुपोषण के मामले	संख्या संख्या संख्या	मासिक मासिक मासिक	राज्य/संघ शासित सरकारें तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
XIII. युवा विकास					
48.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल	**पंचायत युवा खेल अभियान की एक स्कीम योजना आयोग के विचाराधीन है।**			युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
49.	राष्ट्रीय सद्भावना योजना	तैनात नेहरू युवा साथी	संख्या	वार्षिक	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
50.	राष्ट्रीय सेवा योजना	(i)एनएसएस स्वयंसेवकों की भर्ती (ii) विशेष कैम्पिंग कार्यक्रम (iii) गांवों को अपनाना	संख्या संख्या संख्या	वार्षिक	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
XIV. बस्ती सुधार					
51	सात सूत्रों के चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या।	सहायता प्राप्त निर्धन परिवार	संख्या	मासिक	राज्य/संघ शासित सरकारें, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
XV. पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि					
52.	वनरोपण (क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	(क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	हेक्टेयर हेक्टेयर	मासिक मासिक	राज्य/संघ शासित सरकारें, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

53.	नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम	(i) 34 नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - स्थापित सीवर संयंत्र - कम लागत स्वच्छता (ii) 41 झीलों के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना - स्थापित सीवर संयंत्र - कम लागत स्वच्छता	संख्या संख्या संख्या संख्या	वार्षिक वार्षिक	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
54.	सॉलिड एण्ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट - ग्रामीण क्षेत्र में - शहरी क्षेत्र में	(i) स्वीकृत नई परियोजनाएं (ii) चालू परियोजनाएं (iii) पूर्ण परियोजनाएं शहरी आधारी संरचना विकास योजना	संख्या संख्या संख्या	वार्षिक वार्षिक	ग्रामीण विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय
XVI. सामाजिक सुरक्षा					
55.	विकलांगों और अनाथों का पुनर्वास	विकलांगों का पुनर्वास (i) दीनदयाल पुनर्वास योजना - लाभार्थी (ii) सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता - लाभार्थी अनाथों का पुनर्वास (i) शिशु गृह के लिए सहायता - देश में गोद लेना - इंटर कंट्री एडॉप्शन	संख्या संख्या संख्या संख्या	**मासिक** **मासिक** **मासिक** **मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य/संघ शासित सरकारें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य/संघ शासित सरकारें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
56.	वृद्धों का कल्याण	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम योजना के अधीन-- (i) डे-केयर होम्स के अधीन लाभार्थी (ii) ओल्ड-एज होम्स के अधीन लाभार्थी	संख्या संख्या	**मासिक** **मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
XVII. ग्रामीण सड़क					
57.	ग्रामीण - पीएमजीएसवाई	निर्मित सड़क की लंबाई	किलोमीटर	**मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें ग्रामीण विकास मंत्रालय

XVIII. ग्रामीण ऊर्जा					
58.	बायो-डीजल उत्पादन	-जेटरॉफ करकास के रोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र	हेक्टेयर	वार्षिक	ग्रामीण विकास मंत्रालय
59.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	गांवों को बिजली	संख्या	**मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें, ऊर्जा मंत्रालय
60.	नवीकरणीय ऊर्जा	(i) दूरस्थ ग्राम कार्यक्रम	नवीकरणीय ऊर्जा लाइटिंग सिस्टम प्रदत्त दूरस्थ गावों/पुरवों की संख्या	वार्षिक	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्ज्य मंत्रालय
		(ii) भोजन बनाने के लिए फैमिली टाइप बायो-गैस संयंत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए फैमिली टाइप बायो-गैस संयंत्रों की संख्या	वार्षिक	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
61.	पंपसेटों को बिजली	पंपसेटों को बिजली	संख्या	**मासिक**	राज्य/संघ शासित सरकारें, ऊर्जा मंत्रालय
62.	बिजली आपूर्ति	(i)बिजली की मांग (ii) बिजली आपूर्ति (iii) देखी गई कमी	संख्या संख्या संख्या	मासिक	ऊर्जा मंत्रालय
63.	केरोसीन एवं एलपीजी की आपूर्ति	केरोसीन (i)राज्यों में केरोसीन का आबंटन (ii) लिया गया और वितरित केरोसीन का स्टॉक	 मीट्रिक टन मीट्रिक टन	 वार्षिक वार्षिक	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
		एलपीजी (i)एलपीजी उपभोक्ता (ii) डीलरों को वितरित एलपीजी की मात्रा	 संख्या मीट्रिक टन	 वार्षिक	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
XIX. पिछड़ा क्षेत्र विकास					
64.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पीआर संस्थानों के माध्यम से विकास मे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए रखी गई निधि के उपयोग की जानकारी		वार्षिक	पंचायती राज मंत्रालय
XX ई-शासन					
65.	केन्द्रीय और राज्य सरकारें	राष्ट्रीय ई-शासन कार्यक्रम के अधीन, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समेकित सेवाएं और सहायक घटक श्रेणी में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। प्रत्येक प्रोजेक्ट		वार्षिक	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

		के लिए निम्नलिखित मानकों का प्रबोधन किया जाएगाः (i) सूचित करने योग्य/महत्वपूर्ण कार्यों की सूची (ii) प्रत्येक सूचित करने योग्य/महत्वपूर्ण के लिए समय अनुसूची (iii) वर्तमान स्थिति			
66.	पंचायतें नगरपालिकाएं	**पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित परियोजनाएं राष्ट्रीय ई-शासन कार्यक्रम के राज्य की श्रेणी की मिशन मोड परियोजनाओं का भाग हैं। इन्हें तैयार किया जा रहा है और ये अनुमोदन के चरण में हैं। प्रबोधन तब शुरू किया जाएगा जब परियोजनाएं अनुमोदित हो जाएंगी तथा कार्यान्वयन के स्तर पर आ जाएंगी।**			सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006

मासिक प्रगति रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट

क्रम सं.	सूत्र/मद का नाम	प्रबोधित किए जाने वाले मानक/संकेतक/योजनाएं	यूनिट	लक्ष्य		उपलब्धि	
				वार्षिक	रिपोर्ट के अधीन अवधि के लिए	माह के दौरान	संचयी
	गरीबी हटाओ						
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना	(i) जारी जॉब कार्डों की सं. (ii) पैदा किया गया रोजगार (iii) नकद और वस्तु के रूप में दी गई मजदूरी	संख्या				
2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	सहायताप्राप्त स्वरोजगारी व्यक्ति (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii) अनुसूचित जनजाति (iv) महिलाएं (v) विकलांग व्यक्ति	संख्या				
3.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	पैदा किया गया मजदूरी वाला रोजगार (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii)अनुसूचित जनजाति (iv)महिलाएं	श्रम-दिवसों की संख्या				
4.	स्व-सहायता ग्रुप	एसजीएसवाई के अधीन स्व-सहायता ग्रुप - गठित स्व-सहायता ग्रुप - स्व-सहायता ग्रुप जिसे आय पैदा करने के कार्यकलाप प्रदान किए गए है।	संख्या				
	किसान मित्र						
5.	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	वितरित भूमि (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii) अनुसूचित जनजाति (iv) अन्य	हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर				

	श्रमिक कल्याण						
6.	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिकों सहित)	(क) कृषि एवं फॉर्म कामगार (i) किए गए निरीक्षण (ii) पता लगाई गई अनियमितताएं (iii) दूर की गई अनियमितताएं (iv) फाइल किए गए दावे (v) निपटाए गए दावे (vi) लंबित अभियोजन मामले (vii) फाइल किए गए अभियोजन मामले (viii) निर्णीत अभियोजन मामले (ख) अन्य	संख्या संख्या				
	खाद्य सुरक्षा						
7.	खाद्य सुरक्षाः (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ii) अंत्योदय अन्न योजना	(i) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्य अनाजों का आबंटन (ii) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कुल खरीद (i) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्य अनाजों का आबंटन (ii) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कुल खरीद	टन टन				
	सबके लिए आवास						
8.	ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	(i) स्वीकृत आवास (ii) निर्मित आवास	संख्या				
9.	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास	(i) स्वीकृत आवास (ii) निर्मित आवास	संख्या				
	शुद्ध पेयजल						
10.	ग्रामीण क्षेत्र - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(i) शामिल निवासी (एनसी एण्ड पीसी) (ii) जल गुणवत्ता समस्या वाले शामिल निवास स्थान	संख्या संख्या				

	जन-जन का स्वास्थ्य						
11.	बाल प्रतिरक्षण	(i) रूटीन टीकाकरण मे टेटनेस, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी और मीजल्स शामिल है - शिशु टीकाकरण (ii) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम - शिशुओं को लगाए गए टीके	संख्या संख्या				
12.	ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छता कार्यक्रम	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	संख्या				
13.	सांस्थानिक प्रसव	संस्थानो मे प्रसव	संख्या				
	अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण						
14.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	संख्या				
15.	सहायताप्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार	सहायताप्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार	संख्या				
	बाल कल्याण						
16.	आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण	आईसीडीसी ब्लॉक ऑपरेशनल (संचयी)	संख्या				
17.	क्रियाशील आंगनवाड़ियां	(i) क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी) (ii) शामिल बच्चे (iii) ध्यान में आए कुपोषण के मामले	संख्या				
	बस्ती सुधार						
18.	सात सूत्रों के चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या ।	सहायता प्राप्त निर्धन परिवार	संख्या				

	पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि						
19.	वनरोपण (क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	(क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	हेक्टेयर संख्या				
	सामाजिक सुरक्षा						
20.	विकलांगों और अनाथों का पुनर्वास	विकलांगों का पुनर्वास (i) दीनदयाल पुनर्वास योजना - लाभार्थी (ii) सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता - लाभार्थी अनाथों का पुनर्वास (i) शिशु गृह के लिए सहायता - देश में गोद लेना - इंटर कंट्री एडॉप्शन	संख्या संख्या				
21.	वृद्धों का कल्याण	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम योजना के अधीन-- (i) डे-केयर होम्स के अधीन लाभार्थी (ii) ओल्ड-एज होम्स के अधीन लाभार्थी	संख्या				
	ग्रामीण सड़क						
22.	ग्रामीण - पीएमजीएसवाई	निर्मित सड़क की लंबाई	किलोमीटर				
	ग्रामीण ऊर्जा						
23.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	गांवों को बिजली	संख्या				
24.	पंपसेटों को बिजली	पंपसेटों को बिजली	संख्या				
25.	बिजली आपूर्ति	(i) बिजली की मांग (ii) बिजली आपूर्ति (iii) देखी गई कमी	कनेक्शनों की संख्या				

बीसूका-2006 के अंतर्गत प्रबोधित किए जाने वाले मंत्रालय-वार सूत्र और मदें

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों के नाम
		1. ग्रामीण विकास मंत्रालय
I.		गरीबी हटाओ
		ग्रामीण क्षेत्र
	1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना
	2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
	3.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
	4.	स्व सहायता ग्रुप
III.		**किसान मित्र**
	5.	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण
	6.	वाटर शैड विकास
VI.		**सबके लिए आवास**
	7.	ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना
VII.		**शुद्ध पेयजल**
	8.	ग्रामीण क्षेत्र -- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
VIII.		**जन-जन का स्वास्थ्य**
	9.	-- ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	10.	जनजातीय भूमि का अहस्तांतरण
XV.		**पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**
	11.	-- ग्रामीण क्षेत्र में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट

XVII.		ग्रामीण सड़क
	12.	ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई
XVIII.		ग्रामीण ऊर्जा
	13.	बायो-डीजल उत्पादन
		2. पंचायती राज मंत्रालय
I.		गरीबी हटाओ
	1.	पंचायतों की भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केंद्र
II.		जनशक्ति
	2.	स्थानीय स्वायत सरकार (पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय) -- प्रकार्यों के अंतरण के लिए कार्यवाही योजना -- निधियों का बजट बनाना -- कार्मिकों के काय
	3.	शीघ्र और किफायती न्याय - ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
	4.	जिला योजना समितियां
X.		अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
	5.	पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम [पेसा]
XI.	6.	पंचायतों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी
XIX.		पिछड़ा क्षेत्र विकास
	7.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
		3. कृषि मंत्रालय
III.		किसान मित्र
	1.	शुष्क भूमि कृषि
	2.	कृषकों को विपणन और अधिसंरचनात्मक सहायता
	3.	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (लघु सिंचाई सहित)
	4.	किसानों को ऋण

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
VIII.		**जन-जन का स्वास्थ्य**
	1.	गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम: (क) एचआईवी/एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ (ड.) अंधता
	2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	3.	बाल प्रतिरक्षण
	4.	सांस्थानिक प्रसव
5. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
I.		**गरीबी हटाओ**
		शहरी क्षेत्र
	1.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
VI.		सबके लिए आवास
	2.	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास
XIV.		**बस्ती सुधार**
	3.	सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		
VIII.		**जन-जन का स्वास्थ्य**
	1.	माँ एवं बच्चों के लिए सम्पूरक पोषक आहार
	2.	दो बच्चों का मानक
XI.		**महिला कल्याण**
	3.	महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता

XII.		**बाल कल्याण**
	4.	आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण
	5.	क्रियाशील आँगनवाड़ियाँ
XVI.		**सामाजिक सुरक्षा**
	6.	अनाथों का पुनर्वास
		7. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
IV.		**श्रमिक कल्याण**
	1.	कृषि एवं असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
	2.	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)
	3.	बाल श्रमिक निवारण
	4.	महिला श्रमिक कल्याण
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	5.	रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण
		8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	1.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
	2.	सफाई कर्मियों का पुनर्वास
XVI.		**सामाजिक सुरक्षा**
	3.	विकलांगों का पुनर्वास
	4.	वृद्धों का कल्याण

		9. जनजातीय कार्य मंत्रालय
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	1.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार
	2.	वन में रहने वालों का अधिकार - लघु वन उत्पादों के मालिक
	3.	आदिम जनजाति समूह (पीटीजी)
		10. मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय (i) प्रारम्भिक एवं स्कूली शिक्षा विभाग (ii) उच्चतर शिक्षा विभाग
IX.		**सबके लिए शिक्षा**
	1.	सर्वशिक्षा अभियान
	2.	मध्याह्न भोजन योजना - अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
X.		अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछ्ड़ा वर्ग कल्याण
	3.	सभी अल्पसंख्यक समुदायों को व्यावसायिक शिक्षा
	4.	शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्गो को आरक्षण
		11. युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
XIII.		**युवा विकास**
	1.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल
	2.	राष्ट्रीय सद्‌भावना योजना
	3.	राष्ट्रीय सेवा योजना
		12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
XV.		**पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**
	1.	वनरोपण (क) वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - सार्वजनिक एवं वन भूमि (ख) रोपित पौधों की संख्या - सार्वजनिक एवं वन भूमि

	2.	नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम
		13. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
XVIII.		**ग्रामीण ऊर्जा**
	1.	नवीकरणीय ऊर्जा
		14. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
XX.		**ई-शासन**
	1.	केंद्रीय एवं राज्य सरकारें
	2.	पंचायतें एवं नगरपालिकाएं
		15. विद्युत मंत्रालय
XVIII.		**ग्रामीण ऊर्जा**
	1.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
	2.	पंपसेटों को बिजली
	3.	विद्युत आपूर्ति
		16. उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
V.		**खाद्य सुरक्षा**
	1.	खाद्य सुरक्षाः (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (ii) अंत्योदय अन्न योजना, (iii) स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना

17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
XVIII.		ग्रामीण ऊर्जा
	1.	केरोसिन एवं एलपीजी की आपूर्ति
18. शहरी विकास मंत्रालय		
VII.		शुद्ध पेयजल
	1.	शहरी क्षेत्रः -- त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम
VIII.		जन-जन का स्वास्थ्य
	2.	-- शहरी क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम
XI.		महिला कल्याण
	3.	नगरपालिकाओं में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी
XV.		पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि
	4.	-- शहरी क्षेत्र में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
19. संसदीय कार्य मंत्रालय		
XI.		महिला कल्याण
	1.	संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारा
20. जल संसाधन मंत्रालय		
III.		किसान मित्र
	1.	लघु सिंचाई सुविधाएं

21. गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार)		
VIII.		**जन-जन का स्वास्थ्य**
	1.	कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
22. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	1.	अल्पसंख्यक कल्याण
23. कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय		
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	1.	रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण

बीसूका-2006 की विभिन्न मदों को संचालित करने वाले मंत्रालयों की सूची

1. कृषि मंत्रालय
2. उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
3. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6. गृह मंत्रालय
7. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
9. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
10. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
11. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
12. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
13. पंचायती राज मंत्रालय
14. संसदीय कार्य मंत्रालय
15. विद्युत मंत्रालय
16. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
17. ग्रामीण विकास मंत्रालय
18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
19. जनजातीय कार्य मंत्रालय
20. शहरी विकास मंत्रालय
21. जल संसाधन मंत्रालय
22. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
23. युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय